न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं0 69/2012

1. श्री मिश्रीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति सुनार निवासी ग्राम बरल द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0)

----- प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती कमला पत्नी श्री मांगीलाल
2. श्री राजू पुत्र श्री मांगीलाल
   दोनों जाति सुनार निवासीयान– ग्राम बरल द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार एवं पंजीयन अधिकारी, तहसील परिसर, मसूदा (राज.)
4. उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय, बिजयनगर।

--- अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

:– निर्णय :–

दिनांक 13.06.2016

वादी ने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा बरल द्वितीय स्थित आराजी ख0नं0 400 मि0 रकबा 02–16–00, 433 रकबा 02–02–10, 401 रकबा 00–05–10 कुल किता 3 रकबा 05–04–00 बीघाभूमि वादी एंव प्रतिवादी सं0 1 व 2 की सयुंक्त कब्जेकाश्त की भूमियॉ है। जिन पर पक्षकारान का सयुंक्त रूप से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। इनमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 बहिस्से बराबर 1/2 हिस्से से खातेदार है। विवादित भूमियों के सयुंक्त कब्जे काश्त में होने से पक्षकारान में मेड पोर को लेकर विवाद होता रहता है। पक्षकारान मनमुताबिक तरक्की भी नहीं कर सकते। इसलिए वादी बंटवारा कराना चाहता है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बॉण्ड बंटवारा करवाने की कृपा करावें।

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प बरल द्वितीय पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। उन्हें सुना गया। प्रतिवादिया सं0 1 श्रीमती कमला ने एक प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आम सहमति से दिनांक 07/07/2015 को रू 100/– के स्टाम्प पर बटंवारा हो गया है लेकिन वादी जो मेरा देवर है इसे नहीं मान रहा है तथा हमारा हिस्सा हमें देने से मना कर रहा है। प्रतिवादी सं0 2 जो वादी का भतीजा व प्रतिवादिया सं 1 का पुत्र है उसने एक शपथ–पत्र पेश कर वादी को अपने खेत से रास्ता देना तकसीम किया है। प्रतिवादी सं0 3 के उपस्थित पैरोकर को इसमें कोई आपति नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार पक्षकारान प्रश्नगत भूमियों में सहखातेदार है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1व 2 के मध्य आम सहमति से एक रू 100/– के स्टाम्प पर विवादित अराजी के बटवारा जो किया गया है उसके अनुसार ख0नं0 400/2 रकबा 01–10–15 व 433/1 रकबा01–01–05 कुल किता 2 रकबा 02–12–00 बीघा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम तथा ख0न0 401 रकबा

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

00—05—10 व 400/1 रकबा 01—05—05 तथा ख0न0 438/2 रकबा 01—01—05 कुल किता 3 रकबा 02—12—00 वादी के नाम किया जाना तकसीम किया गया है। सहमति से बटवारे की इस तहरीर पर पक्षकारान के हिस्से रखे गये ख0न0 400/1 व 400/2 तथा 433/1 व 433/2 का नक्शा भी अंकित किया गया है।

आम सहमति का यह बटवारा पूर्णतः सही होना पाया जाता है अतः वाद बाबत उभय पक्षान की तर्क विर्तक को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण मे प्रारंभिक डिक्री इस आशय की पारित की जाती है कि तहसीलदार बिजयनगर ग्राम बरल ।। स्थित आराजी ख0न0 400,433,व 401 की मौका स्थिती की जाच कर उभय पक्षान के अमंद रफत की स्थिति कायम करते हुए जरिये माप एंव सीमांकन बटवारा बनाकर प्रस्तावित करावें। प्रतिवादी स0 1 व 2 अपने शपथ पत्र अनुसार वचन बद्व रहेंगें। डिक्री किया जाकर, वादी के हिस्से मौजा बरल—।। स्थित आराजी ख0न0 401 रकबा 00—05—10 व 400/1 रकबा 01—05—05 तथा 433/2 रकबा 01—01—05 कुल किता 02—12—00 रखे जाते है तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 के हिस्से ख0न0 400/2 रकबा 01—10—15 व 433/1 रकबा 01—01—05 कुल किता 2 रकबा 02—12—00 रखे जाने के आदेश पारित किये जाते है। इसी अनुसार तहसीलदार बिजयनगर मौके एवं राजस्व अभिलेख में बंटवारा कायम करे। तहसीलदार बिजयनगर को आम सहमति से किये गये बटवारे की छाया प्रति भिजवाई जाकर पालना कराई जावे। वादी के रास्ते बाबत प्रतिवादी सं0 1 व 2, प्रतिवादी सं0 2 के शपथ—पत्र अनुसार पाबंद रहेगें।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी के हिस्से की आराजी में उसके कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं कार्यवाही बेदखली आदि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2016 को ''न्याय आपके द्वार'' कार्यक्रम मुकाम बरल द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

सुरेश चावला
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 16:59:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: